भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2518

09 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

"प्रसंस्करण सह भंडारण गोदाम एककों की स्थापना"

2518: श्री राजेन्द्र धेड्या गावित,
श्री रवि किशन,
श्री रविन्दर कुशवाहा,
श्री सुब्रत पाठक,
श्री सुधीर गुप्ता,
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,
श्री बिद्युत बरन महतो,
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक,
श्री चन्द्र शेखर साहू

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण सह-भंडारण गोदाम एककों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ख) ऐसी वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

घ) क्या जैव संवर्धित किस्मों के विकास के द्वारा ये बीज प्रसंस्करण इकाइयां कुपोषण दूर करने में भी सफल रही हैं एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

क) जी हां। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक 500 एमटी के 517 बीज प्रसंस्करण-सह-भंडारण गोदाम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी है।

ख) ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक 500 एमटी क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण और बीज भंडारण गोदाम की स्थापना के लिए 60 लाख रूपये की शत-प्रतिशत अनुदान सहायता अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, दी जाती है जिसमें बीज प्रसंस्करण मशीनरी/उपकरण की खरीद, लघु संयंत्र भवन, ड्राइंग फ्लोर/रिसिविंग शेड और बीज प्रसंस्करण सह बीज भंडारण गोदाम के निर्माण कार्य का व्यय शामिल है।

ग) पिछले तीन वर्षों में जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I पर उपलब्ध है।

घ) डी०ए०सी०एंडएफ०डब्ल्यू० आधारीय और प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों को चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि की जैव-दृढ़ किस्मों के प्रजनक बीज प्रदान कर रहा है जिससे किसानों को जैव-दृढ़ फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन में सहायता मिलेगी।

अनुबंध-I

राज्य-वार तीन वर्षों में निर्मुक्त की गई राशि का विवरण

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	वित्तीय वर्ष	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	अव्ययित राशि
1	आंध्र प्रदेश	2018-19	600.00	-	600.00
2	आंध्र प्रदेश	2019-20	600.00	-	600.00
3	अरुणाचल प्रदेश	2017-18	60.00	60.00	-
4	असम	2017-18	1,500.00	-	1,500.00
5	बिहार	2017-18	1,920.00	1,073.28	846.72
6	छत्तीसगढ	2017-18	1,440.00	1,440.00	-
7	छत्तीसगढ	2019-20	840.00	735.00	105.00
8	गुजरात	2019-20	240.00	-	240.00
9	हिमाचल प्रदेश	2018-19	300.00	300.00	-
10	जम्मू एवं कश्मीर	2019-20	1,320.00	-	1,320.00
11	कर्नाटक	2017-18	840.00	290.00	550.00
12	कर्नाटक	2018-19	360.00	-	360.00
13	मध्य प्रदेश	2017-18	4,500.00	-	4,500.00
14	मध्य प्रदेश	2018-19	1,260.00	-	1,260.00
15	मध्य प्रदेश	2019-20	1,140.00	-	1,140.00
16	महाराष्ट्र	2017-18	1,200.00	766.72	433.28
17	महाराष्ट्र	2019-20	1,260.00	-	1,260.00
18	मेघालय	2017-18	60.00	40.20	19.80
19	मेघालय	2018-19	60.00	40.75	19.25
20	नागालैंड	2017-18	60.00	60.00	-
21	तमिलनाडु	2017-18	660.00	660.00	-
22	तमिलनाडु	2018-19	1,140.00	948.00	192.00
23	तमिलनाडु	2019-20	1,200.00	354.00	846.00
24	तेलंगाना	2017-18	1,440.00	-	1,440.00
25	तेलंगाना	2018-19	360.00	-	360.00
26	त्रिपुरा	2019-20	240.00	-	240.00
27	उत्तर प्रदेश	2017-18	4,320.00	198.00	4,122.00
28	उत्तर प्रदेश	2018-19	1,680.00	-	1,680.00
29	उत्तराखण्ड	2018-19	240.00	-	240.00
30	पश्चिम बंगाल	2019-20	180.00	-	180.00
		योग	31,020.00	6,965.95	24,054.05

*****